आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या–90/2022

मो0 रकीबुल

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
08.05.2023	प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 07/2014–15 में दिनांक 15.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है तथा इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के आदेश दिनांक 27.09.2021 को पारित आदेश जिसमें अपीलकर्ता के लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रश्नगत वाद को Dismissed For Default कर दिया गया था, को पुनर्जीवित करने हेतु दायर किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) के आदेश दिनांक 27.09.2021 के द्वारा अपीलकर्ता के लगातार दो तिथियों पर अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत वाद को Dismissed For default कर दिया गया था। जिसको पुनर्जीवित करने हेतु पुनः इस न्यायालय में दिनांक 14.05.2022 को यह वाद दायर किया गया है। परन्तु सूचना भेजे जाने के बाद भी पुनः	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अपीलकर्ता इस वाद की विगत निर्धारित तिथि 02.03.2023 एवं आज दिनांक–08.05.2023 भी अनुपस्थित है। जिससे स्पष्ट है कि उन्हे (अपीलकर्ता) को वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। साथ ही वाद दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (6) का भी अनुपालन नहीं किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में अपीलकर्ता के इस वाद में लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत वाद को पुनः ***Dismissed For Default*** किया जाता है। ***आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।*** **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL